

## प्रेसनोट दिनांक 18.04.2021

1. दिनांक 17.04.21 को वादी श्री राहुल पुत्र बुद्ध भगवान निगम नि0 437 रिकाबगंज थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 78 ईएच 0070 कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 258/21 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 17.04.21 को वादी श्री शमशाद अहमद पुत्र फारुक खान नि0 बभनगवॉ थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सिराज पुत्र अफजाल नि0 बभनगवॉ थाना पूराकलन्दर अयोध्या पुरानी रंजिश को लेकर अभि0 द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 159/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 17.04.21 को वादी श्री श्रवण सिंह पुत्र बजरंग सिंह नि0 रहीमपुर बदौली थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोनू सिंह पुत्र कल्लू सिंह नि0 बसहॉ थाना रौनाही अयोध्या आदि 04 नफर ट्रैक्टर-ट्राली खड़ा करने की बात को लेकर वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 174/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 17.04.21 को वादी श्री विशाल कुमार पुत्र. स्व0 राजकुमार नि0 हरीपुर जलालाबाद थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को कुचल देना जिससे मौके पर मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 176/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 17.04.21 को वादी श्री अखिलेश कुमार तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी नि0 बीकापुर थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एजे 1428 स्विफ्ट डिजायर कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 178/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।